

**अनुदान संख्या 48 - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग**  
**GRANT No. 48-DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH**

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
राजस्व:	<b>Revenue:</b>				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	531,75,00	567,01,00	564,56,34	-2,44,66
पूरक	Supplementary	35,26,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				60,00

(हजार रुपयों में)  
(In thousands of rupees)

**टीका और टिप्पणियां**

*Notes and comments*

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	125.00	83.00	..	-83.00
पू.	S.	7.00			
पु.	R.	-49.00			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	49050.00	56558.00	56456.34	-101.66
पू.	S.	3519.00			
पु.	R.	3989.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	4000.00	..	..	..
पु.	R.	-4000.00			

(I) 16532.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ग्यारह मामलों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग" - 132.00 लाख रु. (अक्टूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 7.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) नए सृजित विभाग के लिए एक अलग स्थापना न बनाए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी" -

(i) "निदेशन और प्रशासन - मुख्यालय में तकनीकी स्कंध" - 150.00 लाख रु. ;

(ii) "अन्य व्यय" -

(1) "अनुसंधान अभिशासन को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन" - 2050.00 लाख रु.;

(2) "चिकित्सा, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान में समन्वय" - 1900.00 लाख रु.;

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - स्वास्थ्य अनुसंधान को प्रोत्साहन, समन्वय और विकास" - 5000.00 लाख रु.;

(ग) "लोक स्वास्थ्य" -

(i) "निदेशन और प्रशासन - सरकारों/संगठनों/संस्थाओं के साथ समन्वय" - 2000.00 लाख रु.;

(ii) "रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" -

(1) "महामारी रोकथाम के साधनों का विकास" - 200.00 लाख रु.;

(I) Provision of Rs.16532.00 lakhs remained wholly unutilised in eleven cases under the following major heads:-

(A) Major Head "2251" - "Secretariat - Department of Health Research" - Rs.132.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.7.00 lakhs obtained in October, 2008) - due to non-setting up of a separate establishment for the newly created department.

(B) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Allopathy"-

(i) "Direction and Administration - Technical Wing at Headquarters" - Rs.150.00 lakhs;

(ii) "Other Expenditure" -

(1) "Promotion and Guidance on Research Governance" - Rs.2050.00 lakhs;

(2) "Co-ordination in Medical, Biomedical and Health Research" - Rs.1900.00 lakhs;

(b) "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Promotion, Co-ordination and Development of Health Research" - Rs.5000.00 lakhs;

(c) "Public Health" -

(i) "Direction and Administration - Co-ordination with Governments/Organisations/Institutions" - Rs.2000.00 lakhs;

(ii) "Prevention and Control of Diseases" -

(1) "Development of Tools to Prevent outbreaks of Epidemics" - Rs.200.00 lakhs;

(2) "प्राकृतिक आपदा प्रबंधन" - 300.00 लाख रु.;

(घ) "सामान्य" -

(i) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान" - 500.00 लाख रु. ; और

(ii) "अन्य व्यय - चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में धर्मार्थ और धार्मिक दान" - 300.00 लाख रु.।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान नई स्कीमों के शुरू न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली" - 4000.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "लोक स्वास्थ्य - प्रशिक्षण - चिकित्सा और स्वास्थ्य में अनुसंधान" - 541.00 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ; और

(खा) "सामान्य - अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग - भारत और विदेश में सम्मेलनों का आयोजन/भागीदारी" - 470.63 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें नई स्कीमों शुरू न किए जाने के कारण हुईं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (17300.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2210" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण

(2) "Management of Natural Calamities" - Rs.300.00 lakhs;

(d) "General" -

(i) "International Co-operation - Contributions to International Organisations" - Rs.500.00 lakhs; and

(ii) "Other Expenditure - Charitable and Religious Endowments in Medicine and Health Research Areas" - Rs.300.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilised due to non-taking off of the new schemes.

(C) Major Head "2552" - "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Indian Council of Medical Research, New Delhi" - Rs.4000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Public Health - Training - Research in Medicine and Health" - saving of Rs.541.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs); and

(B) "General - International Co-operation - Organisation/Participation to conferences in India and Abroad" - saving of Rs.470.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-taking off of the new schemes.

2.(I) The above savings were partly (Rs.17300.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported

और अनुसंधान - एलोपैथी - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुदान'' के अंतर्गत फरवरी, 2009 में 3519.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 17298.97 लाख रु. था।

to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.3519.00 lakhs in February, 2009 under Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Grants to Indian Council of Medical Research, New Delhi". Actual excess, however, was Rs.17298.97 lakhs.

---